

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ. 3 (ख)(आर /83) अलेसे-11/15012-16 दिनांक:- 21 अगस्त, 2013

शुद्धि आदेश

विभागीय आदेश संख्या 174/2013-14 दिनांक 25 जुलाई 2013 में क्र.सं. 03 पर अंकित श्री रणजीत सिंह, लेखाकार (लिंक नं. 928) के कॉलम संख्या 05 में अंकित उपकोषाधिकारी, उपकोष (पेंशन) सीकर के स्थान पर कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, श्री कल्याण चिकित्सालय, सीकर (सहायक लेखाधिकारी के रिक्त पद के विरुद्ध) संशोधित किया जाता है।

उक्त आदेश वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त स्वीकृति दिनांक 19/08/2013 के क्रम में जारी किए गए हैं।


निदेशक,

क्रमांक:- एफ. 3 (ख)(आर /83) अलेसे-11/15012-16 दिनांक:- 21 अगस्त, 2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) शासन सचिवालय, जयपुर
2. कोषाधिकारी, कोषालय सीकर।
3. उपकोषाधिकारी, उपकोष (पेंशन) सीकर।
4. कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, श्री कल्याण चिकित्सालय, सीकर।
5. श्री रणजीत सिंह, लेखाकार (लिंक नं. 928) उपकोषाधिकारी, उपकोष (पेंशन) सीकर
6. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने तथा पीआईएस रिकार्ड संधारण हेतु।
7. निजी सहायक, निदेशक महोदया।
8. व्यक्तिगत पंजिका।
9. रक्षित पंजिका/आदेश पंजिका।


अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)